

अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्षः 19 | अंकः 157 | आगरा, शुक्रवार 27 नवम्बर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

संसदीय सत्रों पर गहराया असमंजसः मानसून सत्र अभी लंबित

नई दिल्ली (ए)। देश की संसद का आगामी शीतकालीन सत्र इनदिनों अनिश्चितता के भंवर में फंसा है। 25 नवंबर तक मोदी सरकार की ओर से सत्र बुलाने संबंधी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है, खासकर तब जब पिछला मानसून सत्र भी अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भले ही 13 अगस्त 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान (प्रोरोगेशन) की औपचारिक घोषणा न होने के कारण तकनीकी रूप से मानसून सत्र अभी भी जारी माना जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार नियमित शीतकालीन सत्र के बजाय कोई विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जा सकता है।



भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 यह सुनिश्चित करता है कि संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल न हो। हालांकि, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र जैसी व्यवस्थाएं संवैधानिक अनिवार्यता न होकर संसदीय परंपराओं का हिस्सा हैं। संसद का सत्र बुलाने और उसके सत्रावसान का औपचारिक घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन यह वे केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही करते हैं। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना (एडजर्नमेंट साइन डाई) और सत्र का सत्रावसान करना (प्रोरोगेशन) दो अलग-अलग संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। जब तक राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की घोषणा नहीं होती, तब तक सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं माना जाता, जैसा कि इस समय मानसून सत्र के साथ हो रहा है।

भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक चार इसतरह के मौके आए हैं, जब शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया गया। इसमें पहला मौका 1975 में आपातकाल के दौरान था। दूसरा 1979 में, जब तत्कालीन लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया गया था। तीसरी बार 1984 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे राजनीतिक हालातों के कारण शीत सत्र नहीं हो सका था। चौथी बार हाल ही में 2020 में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते शीतकालीन सत्र रद्द किया गया था, और उसके विधायी कामकाज को आगामी बजट सत्र में समायोजित किया गया था।

इस बार शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं, क्योंकि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर आगे बढ़ने की तैयारी में बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार मानसून सत्र का सत्रावसान किए बिना उसी सत्र के तहत विशेष बैठक बुला सकती है, जिससे अलग से शीतकालीन सत्र आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है। इन विधेयकों को लेकर किसी विशेष सत्र या बैठक की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। संवैधानिक रूप से शीतकालीन सत्र के नाम से अलग बैठक आयोजित करना अनिवार्य नहीं है; मुख्य सवाल यह है कि सरकार संसद की अगली बैठक कब बुलाती है और क्या उसमें इन महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाता है।

पीएम बोले- नारी शक्ति को न्याय से कोई नहीं रोक सकता

नई दिल्ली(ए)। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि नारी शक्ति को न्याय दिलाने से कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को याद किया और इस बात पर जोर दिया कि देश की संवैधानिक यात्रा उनके उल्लेख के बिना अधूरी है। हालांकि, इसी के साथ उन्होंने इस साल संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पास नहीं हो पाने पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने इस घटनाक्रम को देश के लिए शर्मिंदगी का विषय बताया, जिससे उनका यह संदेश स्पष्ट हुआ कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिशें लगातार जारी रहेंगी।



यह बयान ऐसे समय आया है जब महिला आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। इसी साल 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था। सरकार इस विधेयक के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण 2029 के आम चुनाव से पहले लागू करना चाहती थी। विपक्ष ने सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करने की बात कही थी, लेकिन उसने इसे परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ने पर सवाल उठाए थे। अब संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे को उठाकर विपक्ष पर संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कदम ने एक बार फिर संवैधानिक मूल्यों के प्रति विपक्ष की उपेक्षा को दिखाया है।

प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं भारत की नारी शक्ति को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें न्याय दिलाना सुनिश्चित करने से कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की योजना भी शामिल थी। सरकार का तर्क था कि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता आसान होगा। वहीं, कई विपक्षी दलों ने 33 फीसदी महिला आरक्षण का समर्थन किया। लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी।

वक्फ बोर्ड कार्यक्रम में वंदे मातरम को लेकर गहराया विवाद : मौलवियों ने जताया अफसोस

नई दिल्ली(ए)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाए जाने को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। इस दौरान कुछ धर्मगुरुओं के राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े होने पर तीखी आलोचना हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने कदम पर अफसोस जताते हुए पश्चाताप व्यक्त किया। यह घटना 23 नवंबर को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम की है। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धर्मगुरुओं के साथ प्रमुख गुज्जर नेता मियां अल्ताफ अहमद, शिया नेता इमरान अंसारी और अब्दुल राशिद शेख (दाऊदी) भी वंदे मातरम बजने के दौरान खड़े हुए थे। हालांकि, बुधवार को इनमें से कुछ धर्मगुरुओं ने वीडियो बयान जारी कर अपने इस कदम के लिए पश्चाताप व्यक्त किया।इस बीच, जम्मू-कश्मीर में विभिन्न धार्मिक संगठनों और संस्थाओं के समूह मुत्तहिदा मजलिस उलेमा (एमएमयू) ने वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एमएमयू का कहना है कि इस्लाम



मातृभूमि से प्रेम को प्रोत्साहित करता है, लेकिन मातृभूमि से प्रेम और उसकी पूजा करने के बीच स्पष्ट अंतर है। संगठन के अनुसार, मातृभूमि को दैवीय स्वरूप देने वाली किसी भी अभिव्यक्ति या परंपरा को इस्लाम की मूल मान्यता तौहीद (ईश्वर की एकता) के खिलाफ माना जाता है और यह मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह संगठन कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व में कार्य करता है। एमएमयू ने वंदे मातरम बजाए जाने को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों और उनकी पवित्रता की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था वक्फ बोर्ड ने ही अपने कार्यक्रम में यह गीत बजाया। संगठन के अनुसार, कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। इसके बावजूद गीत बजाया गया, जिससे कश्मीरी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उनमें दुख तथा नाराजगी पैदा हुई।एमएमयू ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यक्रमों में नियमित रूप से वंदे मातरम शामिल किए जाने पर भी चिंता जताई, उनका मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी होती है, जिससे अविश्वास और अलगाव की भावना बढ़ सकती है।इस मामले पर एमएमयू कानूनी राय लेने पर विचार कर रहा है और संबंधित अधिकारियों के सामने औपचारिक शिकायत सौंपने की भी तैयारी में है। इस शिकायत के जरिए जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में वंदे मातरम को कथित तौर पर जबरन शामिल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की जाएगी।

भारत ने अमेरिकी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के आरोप को किया खारिज

नई दिल्ली,(ए)। भारत सरकार ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को साफ शब्दों में खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियां जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पैदा कर रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (ओवरकैपेसिटी) नहीं है और व्यापार से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही होना चाहिए। सरकार ने साथ ही यह भी दोहराया कि वह अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मिलकर काम करने को तैयार है।

ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत सहित कई देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि, इसमें यह प्रावधान भी रखा गया है कि अगर दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो यह शुल्क घटाकर 17 प्रतिशत किया जा सकता है, जिससे भारत को अन्य एशियाई देशों के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति मिल सकती है। दरअसल, यह पूरा मामला अमेरिका की धारा 301 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। अमेरिका ने कुल 16 देशों और आर्थिक क्षेत्रों के खिलाफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लेकर जांच शुरू की है, जिसमें चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, जापान, नॉर्वे, मेक्सिको और भारत शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि इन देशों की नीतियों के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जरूरत से ज्यादा हो गई है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत ने इस पूरी जांच प्रक्रिया में रचनात्मक तरीके से सहयोग किया। जांच शुरू होने के नोटिस के जवाब में और बाद की कार्यवाही के दौरान भारत ने साफ-साफ बताया कि देश के किसी भी सेक्टर में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी पक्ष द्वारा जारी किए गए निर्धारण संबंधी नोटिस पर फिलहाल गौर किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया कि भारत और अमेरिका पहले से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि व्यापार से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता या शिकायत का समाधान इन वार्ताओं के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली,(ए)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान कई पूर्व मुख्यमंत्रियों, नेताओं और आम लोगों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए दोनों सरकारों को 10 दिन का वक्त दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिरासत में लेने से जुड़े आरोपों को लेकर दाखिल कुछ याचिकाओं में ही हलफनामे दाखिल किए गए हैं। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि यदि वे कोई और हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, तो वे एक सप्ताह के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं।

गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। सरकार ने जंतर-मंतर पर 11 अक्टूबर को होने वाले एक बड़े प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश की थी। इसके लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया था। इनमें सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, विपक्ष के कई नेता और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल थे। वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुस्वामी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अनुचित तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया था। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने अपनी दलील में कहा था कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विरोध-प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की मुख्य वजह स्टेटेजिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर सामने आई खामियां और एक रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के काम करने के तरीके पर उठे सवाल थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के मुद्दे पर अन्य दो मुख्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की कई आपत्तियों को नजरअंदाज किया था और एकतरफा फैसले लिए थे। रिपोर्ट सामने आते ही विपक्ष ने निर्वाचन आयोग और उसके समर्थन में उतरी भाजपा पर हमलावर रुख अपना लिया था।

मुंबई में 31 किमी लंबी भूमिगत बनेगी सड़क, परियोजना को दिया पाताल लोक नाम

सीएम फडणवीस ने 53,928.2 करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना को दी हरी झंडी

मुंबई,(ए)। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी भूमिगत सड़क नेटवर्क परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 53,928.2 करोड़ रुपए की इस प्रस्तावित परियोजना को हरी झंडी दी है, जिसके तहत शहर में 31 किलोमीटर लंबी भूमिगत सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को पाताल लोक नाम दिया गया है और यह शहर के पश्चिमी और मध्य हिस्सों को जोड़ने के साथ पूर्वी उपनगरों तक पहुंचेगी।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित नेटवर्क बांद्रा-वर्ली सी लिंक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, धारावी, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को आपस में जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, बीकेसी स्थित बुलेट ट्रेन स्टेशन तक भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में शहर के पश्चिमी और मध्य हिस्सों को जोड़ा जाएगा, जबकि दूसरे चरण में नेटवर्क को पूर्वी उपनगरों के घाटकोपर तक विस्तारित किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना का मुख्य हिस्सा बीकेसी और धारावी के बीच मीठी नदी के नीचे से गुजरेगा, जहां से भूमिगत सड़क चार दिशाओं में विभाजित होगी। पहला मार्ग बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जुड़ेगा, दूसरा धारावी की ओर, तीसरा बीकेसी के जी ब्लॉक को और चौथा उत्तर दिशा में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचेगा। बीकेसी की ओर जाने वाले मार्ग पर चुनाभट्टी में निकास की सुविधा होगी, जहां से वाहन चालक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। हवाई अड्डे की ओर जाने वाला भूमिगत मार्ग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के समानांतर चलेगा और बांद्रा पूर्व, वकोला तथा विले पार्ले जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों के नीचे से गुजरेगा। दूसरे चरण में यह नेटवर्क अंधेरी पूर्व के असल्फा और साकीनाका जैसे इलाकों से गुजरते हुए घाटकोपर के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा।

सीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख सड़क मार्गों को भूमिगत नेटवर्क से जोड़कर मौजूदा सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना है। वर्तमान में मुंबई के कई मार्गों पर वाहनों की औसत रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जबकि प्रस्तावित भूमिगत सड़कों पर वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। सीएम ने नवंबर 2025 में इस परियोजना की घोषणा की थी, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही थी। अब सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण जनरल कंसल्टेंट की नियुक्ति, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण कंपनियों के चयन जैसे अगले चरणों पर काम करेगा।

घनी आबादी वाले मुंबई शहर के नीचे सुरंग बनाने में कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आएंगी, जिसमें मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर, भूमिगत बिजली और पानी की लाइनें शामिल हैं। इसके लिए करीब 20 एनओसी की जरूरत होगी। मीठी नदी और मैंग्रोव क्षेत्रों के आसपास से गुजरने वाले हिस्सों के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र समेत अन्य पर्यावरणीय मंजूरियां भी जरूरी होंगी। सुरंग निर्माण के लिए मुख्य रूप से टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा।

परियोजना की लागत के वित्तपोषण के लिए एमएमआरडीए घरेलू संस्थानों के साथ विदेशी वित्तीय संस्थानों से भी कर्ज लेने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। यह भूमिगत सड़क नेटवर्क सी लिंक, कोस्टल रोड और पूर्वी कॉरिडोर की प्रस्तावित एलिवेटेड सड़कों से भी जुड़ेगा, जिससे मुंबई के साथ ठाणे और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा।

वीरता पुरस्कार विजेताओं को बड़ी सौगातः अब वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा बहादुर जवान

नई दिल्ली(ए)। केंद्र सरकार ने चक्र सीरीज के वीरता पुरस्कार विजेताओं को बड़ी सौगात दी है। अब ये वीर (परमवीर चक्र, महावीर चक्र से लेकर शौर्य चक्र तक के विजेता) वंदे भारत एक्सप्रेस सहित देश की सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के परामर्श के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देश के इन बहादुर सपूतों के सम्मान में वृद्धि करना है। यह सुविधा उनके पहले से उपलब्ध यात्रा अधिकारों और सुविधाओं में कोई बदलाव किए बिना प्रदान की गई है, बल्कि इसका दायरा और विस्तृत किया गया है।

भारतीय सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए इसे वीरता और बलिदान के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल बताया। सेना के अनुसार, यह कदम देश के योद्धाओं के असाधारण साहस, निस्वार्थ बलिदान और राष्ट्र सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए रेलवे और रक्षा



मंत्रालय की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चक्र सीरीज के वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र शामिल हैं। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना हुई थी, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। बाद में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी शुरू किए गए। पहले इन पुरस्कार विजेताओं को कॉम्प्लिमेंट्री कार्ड पास मिलते थे, जिससे उन्हें आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती थी। हालांकि, यह सुविधा यात्रा की श्रेणी और कुछ विशेष ट्रेनों तक ही सीमित थी। फरवरी 2014 में परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं को राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों में प्रथम एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा की अनुमति मिली थी, और अगस्त 2017 में अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को भी समान सुविधा दी गई।

आनंद मोहन की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली,(कास)। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई का आदेश गुरुवार को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार की 2023 में बदली गई उस नीति पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत सार्वजनिक सेवक की हत्या के दोषी को प्रीमैच्योर रिलीज का लाभ दिया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि 2023 में रिहाई की नीति में किया गया संशोधन बिना स्पष्ट उद्देश्य और उचित कारण के अचानक किया गया बदलाव था। अदालत के अनुसार राज्य सरकार इस बदलाव के पीछे कोई तर्कसंगत और वैध सार्वजनिक उद्देश्य साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत माना। जी. कृष्णैया की वर्ष 1994 में गोपालगंज में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस मामले में आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

बिहार सरकार के फैसले के बाद करीब 14 वर्ष जेल में रहने के पश्चात उन्हें 24 अप्रैल 2023 को रिहा कर दिया गया था। इसके खिलाफ कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार उमा कृष्णैया को अपनी बात रखने का अवसर देने के बाद सजा में छूट की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल दोषी के हित तक सीमित नहीं है। इसमें पीड़ित और उसके परिवार के अधिकार भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि दोषी और पीड़ित के अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है।